गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार

(यू0जी0सी0 एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)

प्रबन्ध–मण्डल की 20 वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 09.04.2022
समय : प्रातः 11:00 बजे
स्थान : सीनेट हॉल, गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार

सदन की बैठक में निम्न महानुभाव उपस्थित हुए ।

1. प्रो0 रूप किशोर शास्त्री, कुलपति–अध्यक्ष
2. डॉ0 नैपाल सिंह तोमर, मान्य कुलाधिपति जी द्वारा नामित शिक्षाविद् सदस्य
3. श्री प्रेम भारद्वाज, मान्य कुलाधिपति जी द्वारा नामित शिक्षाविद् सदस्य (प्र0सं0 08 में मान्य अध्यक्ष)
4. श्री नरिन्दर सिंह कटारिया, मान्य कुलाधिपति जी द्वारा नामित शिक्षाविद् सदस्य
5. श्री विनय आर्य, प्रायोजक संस्था द्वारा नामित सदस्य
6. प्रो0 रेणु शुक्ला, कोर्डिनेटर, कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून, सदस्या
7. प्रो0 नवनीत, वरिष्ठ संकायाध्यक्ष, सदस्य
8. प्रो0 अम्बुज कुमार शर्मा, वरिष्ठ संकायाध्यक्ष, सदस्य
9. प्रो0 मनुदेव बन्धु, वरिष्ठ प्रोफेसर, सदस्य
10. डॉ0 प्रवीणा चतुर्वेदी, वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसर, सदस्या
11. प्रो0 विनोद कुमार सिंह, वित्ताधिकारी, विशेष आमंत्रित सदस्य
12. डॉ0 सुनील कुमार, कुलसचिव / संयोजक

ईश वन्दना के साथ प्रबन्ध मण्डल की बैठक आरम्भ हुई तथा कुलसचिव द्वारा सभी मान्य सदस्यों का स्वागत एवं हार्दिक अभिनन्दन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 01

समविश्वविद्यालय के शिक्षा एवं प्रशिक्षण संकाय के अन्तर्गत सभी प्रकार के प्रशिक्षण इत्यादि को कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

कुलसचिव ने बताया कि माह नवम्बर 2021 में समविश्वविद्यालय में नैक टीम के विजिट के दौरान नैक टीम के सदस्यों द्वारा समविश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं सम्परीक्षण कराये जाने हेतु सुझाव दिया गया है। अतः प्रस्तावित है कि समविश्वविद्यालय में शिक्षकेतर कर्मचारियों हेतु विभिन्न स्तर पर होने वाले कार्यक्रम शिक्षा प्रशिक्षण एवं सम्परीक्षण संकाय द्वारा ही सम्पन्न किये जायें।

उक्त प्रस्ताव पर मान्य कुलपति जी ने सदन को अवगत कराया कि समविश्वविद्यालय में शिक्षकों हेतु प्रेरणा कार्यक्रम इसी संकाय के अन्तर्गत किये जा रहे हैं। अतः शिक्षकेतर कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण एवं सम्परीक्षण कार्यक्रम भी उक्त संकाय से ही कराया जाना श्रेयष्कर होगा। इसी सम्बन्ध में कुलसचिव महोदय द्वारा भी अवगत कराया गया कि उक्त प्रशिक्षण नैक हेतु भी आवश्यक है। सभी सदस्यों द्वारा उक्त समविश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों हेतु प्रेरणा (Induction) एवं समस्त प्रशिक्षण एवं सम्परीक्षण कार्यक्रम शिक्षा एवं प्रशिक्षण संकाय के अन्तर्गत ही सम्पन्न किये जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 02

समविश्वविद्यालय में वित्ताधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त श्री राजीव तलवार के कार्यमुक्त किये जाने की सूचना के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

समविश्वविद्यालय वित्ताधिकारी पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त श्री राजीव तलवार के डॉ0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति आधार पर वित्ताधिकारी के पद पर नियुक्ति होने के कारण इन्हें इस समविश्वविद्यालय से दिनांक 30.11.2021 की अपराह्न से कार्यमुक्त किया गया है। वर्तमान में वित्ताधिकारी का पद रिक्त है तथा समविश्वविद्यालय के प्रो0 वी0के0 सिंह को उक्त पद का अतिरिक्त दायित्व दिया गया है। वित्ताधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन की प्रक्रिया शीघ्र ही आरम्भ की जा रही है। इसके अतिरिक्त अनुरक्षण एवं स्ववित्तपोषित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के शेष रिक्त पदों के विज्ञापन एवं नियमतः चयन प्रकिया यथाशीघ्र प्रारम्भ की जाये।
उक्त प्रस्ताव के अन्तर्गत श्री नरिन्दर सिंह कटारिया ने कहा कि सभी शेष रिक्त पदों के विज्ञापन की प्रक्रिया भी शीघ्र ही पूर्ण करा ली जाये। उपरोक्तानुसार प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 03 **समविश्वविद्यालय में दिनांक 31.12.2021 को हुई प्लानिंग एवं मॉनिटिरिंग बोर्ड की बैठक की कार्यवाही के सम्पुष्टि के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

समविश्वविद्यालय में दिनांक 31.12.2021 को मान्य कुलपति जी की अध्यक्षता में प्लानिंग एवं मॉनिटिरिंग बोर्ड की बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठक की कार्यवाही मान्य सदस्यों के सूचनार्थ प्रस्तुत है।
उक्त प्रस्ताव पर श्री नरिन्दर सिंह कटारिया ने कहा कि प्लानिंग एवं मॉनिटिरिंग बोर्ड की पूर्ण कार्यवाही सदन में रखा जाये, इस सम्बन्ध में प्लानिंग एवं मॉनिटिरिंग बोर्ड के माननीय सदस्य श्री विनय आर्य द्वारा दिनांक 31.12.2021 को हुई प्लानिंग एवं मॉनिटिरिंग बोर्ड की पूर्ण जानकारी को सदन में रखा गया। श्री विनय आर्य जी ने कहा कि एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम खोले जाने हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर समुचित रुप से स्टडी करना आवश्यक है।
प्रो0 अम्बुज कुमार शर्मा ने सदन को अवगत कराया कि पूर्व में भी एल0एल0बी0 पाठयक्रम एकेडमिक कांउसिल में पास हो चुका है। अतः इस पाठयक्रम को स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत खोला जाना समविश्वविद्यालय के हित में होगा।
प्रो0 विनोद कुमार सिंह ने कहा कि जिला हरिद्वार में केवल दो ही संस्थाओं में एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम की सांयकालीन कक्षाऐं संचालित की जा रही हैं। चूंकि एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम एक कोर पाठ्यक्रम है अतः विश्वविद्यालय हित में उक्त पाठ्यक्रम को चलाया जाना हितकारी होगा।
डॉ0 नैपाल सिंह तोमर ने कहा कि स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत पाठ्यक्रम को चलाए जाने से पूर्व समविश्वविधालय स्तर पर धन एवं भवन की व्यवस्था की जानी है। इस विषय पर श्री विनय आर्य ने कहा कि धन की व्यवस्था हेतु वित्त विभाग से रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाये तथा पाठ्यक्रम को संचालित किये जाने के लिए मान्य कुलपति जी की सहमति के साथ कोर्डिनेटर की नियुक्ति हेतु कुलसचिव को अधिकृत किया जाता है। माननीय कुलपति जी ने कहा कि श्रेयष्कर होगा कि एल0एल0एम0 (इण्टीग्रेटिड) पाठ्यक्रम चलाने पर जोर दिया जाये, जिस पर सभी ने सहमति प्रकट की। अतः विचार आया कि एल0एल0बी0 के साथ–साथ अथवा इसके अतिरिक्त एल0एल0एम0 पाठ्यक्रम को आरम्भ करने हेतु समिति का गठन कर आगे की कार्यवाही पूर्ण की जा सकती है।
उपर्युक्तानुसार सदन में विचार विमर्श के उपरान्त एल0एल0बी0 या एल0एल0एम0 (इण्टीग्रेटिड) अथवा दोनों पाठ्यक्रम को खोले जाने हेतु सदन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है तथा उक्त पाठ्यक्रम को समिति गठित कर कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये।

प्रस्ताव संख्या 04 **दिनांक 30, व 31 जनवरी 2022 को ग्रुप A के शिक्षकेतर पदों (DR, AR, PRO, System Manager) हेतु हुई लिखित परीक्षा प्रकिया के सम्बन्ध में परीक्षा पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर उक्त प्रकिया को रद्द कर पुनः विज्ञापित कर परीक्षा कराने का प्रस्ताव।**

समविश्वविद्यालय में दिनांक 30, व 31 जनवरी 2022 को ग्रुप A के शिक्षकेतर पदों (DR, AR, PRO, System Manager) हेतु हुई लिखित परीक्षा प्रक्रिया की गयी थी। उक्त पदों की

लिखित परीक्षा की प्रक्रिया के सम्बन्ध में परीक्षा पर्यवेक्षकों के द्वारा दिनांक 19.03.2022 को प्रस्तुत रिपार्ट के आलोक में उक्त लिखित परीक्षा प्रक्रिया को **फिलहाल स्थगित** कर दिया गया है। अतः उक्त पदों हेतु की **गयी परीक्षा प्रक्रिया को रद्द कर पुनः विज्ञापित किया जाना प्रस्तावित है** तथा रिक्रुटमेन्ट रुल्स 2020 के आलोक में प्रक्रिया को पुनः किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर **डॉ0 नैपाल सिंह तोमर ने कहा कि उक्त प्रकिया तद्नुसार यथाशीध्र पुनः प्रारम्भ की जाये।**

श्री विनय आर्य एवं श्री नरिन्दर सिंह कटारिया ने कहा कि दिनांक 30, व 31 जनवरी 2022 को ग्रुप A के शिक्षकेतर पदों पर हुई लिखित परीक्षा एवं प्रकिया को रिपोर्ट के आधार पर उक्त परीक्षा प्रकिया को रद्द कर पुनः विज्ञापित किया जाना है तथा जिन अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व में आवेदन किये गये हैं। उनके पूर्व के आवेदन को स्वीकार किया जा सकता है एवं उनसे शुल्क लेने की भी आवश्यकता नही है।

विचारोपरान्त उपर्युक्तानुसार प्रस्ताव सर्वसम्मिति से स्वीकार किया गया।

प्रस्ताव संख्या 05

समविश्वविद्यालय में अस्थायी MRF केन्द्र/ट्रान्सफर स्टेशन बनाये जाने हेतु अनापत्ति (NOC) दिये जाने सम्बन्ध में प्रस्ताव।

समविश्वविद्यालय के आंवला बाग के पास स्थित भूमि पर अस्थायी MRF केन्द्र/ट्रान्सफर स्टेशन बनाये जाने हेतु श्री दयानन्द सरस्वती, नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार के द्वारा दिनांक 22.03.2022 को प्रेषित पत्र में अंकन किया गया है कि नगर निगम, हरिद्वार द्वारा हरिद्वार शहर को स्वच्छ एवं सुन्दर Garbage Free City बनाये जाने हेतु समविश्वविद्यालय के आंवला बाग के पास वाली भूमि में 30×20 वर्गमीटर भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु अनापत्ति (NOC) दिये जाने का अनुरोध किया गया है तथा यह भी अंकन किया गया है कि उक्त भूमि पर भू–स्वामित्व गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार का ही बना रहेगा। चूंकि उक्त प्रकरण भूमि से सम्बन्धित है। अतः इस सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल द्वारा ही अंतिम निर्णय लिया जाना है।

उक्त प्रस्ताव पर श्री नरिन्दर सिंह कटारिया एवं डॉ0 नैपाल सिंह तोमर ने कहा कि समविश्वविद्यालय की उक्त भूमि के समीप आवासीय कालोनी तथा समविश्वविद्यालय के छात्र–छात्राओं द्वारा उक्त भूमि के समीप के रास्ते को आने जाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अतः उक्त भूमि को अस्थायी MRF केन्द्र/ट्रान्सफर स्टेशन बनाये जाने हेतु दिये जाने के सम्बन्ध में सदन में कोई सहमति नही बन पाई। अतः उक्त प्रस्ताव पर विचार किया जाना सम्भव नही है।

विचारोपरान्त उपर्युक्तानुसार प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया।

प्रस्ताव संख्या 06

समविश्वविद्यालय के स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों का वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रबन्धन हेतु एक अधिकारी की नियुक्ति का प्रस्ताव।

समविश्वविद्यालय में वर्तमान में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत बी0टैक, बी0बी0ए0, एम0बी0ए0, बी0पीएड0 एवं बी0फार्मा0 पाठ्यक्रमों की वित्तीय एवं प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने के लिये, अनुरक्षण योजना से अलग एक अधिकारी नियुक्त किया जाना आवश्यक है। जिससे स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों का संचालन एवं विकास अच्छे प्रकार से हो सके। यह अधिकारी समविश्वविद्यालय मुख्य प्रशासनिक अधिकारी माननीय कुलपति जी को सीधा सूचित करेगा और उनके आदेशों का पालन करेगा तथा स्ववित्तपोषित लेखा के समस्त विवरण संचित करना व अवगत कराना उसकी जिम्मेदारी होगी।

उक्त प्रस्ताव पर डॉ0 अम्बुज कुमार शर्मा ने कहा कि उक्त प्रस्ताव पूर्व की बैठक 09.01.2022 में भी प्रस्तुत किया गया था तथा उस पर निर्णय हो चुका था। मान्य कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 09.01.2022 की बैठक ऑनलाईन माध्यम से थी अतः उक्त प्रस्ताव पर ऑफलाईन माध्यम से चर्चा होनी चाहिए।

प्रो0 वी0के0 सिंह ने कहा कि जो प्रस्ताव सदन में रखा गया है क्या वित्त विभाग की कोई शिकायत प्राप्त हुई है। चूंकि उक्त प्रस्ताव के सदन पर रखे जाने पर वित्त विभाग पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है।

श्री विनय आर्य ने इस सम्बन्ध में अपना विचार रखा तथा सुझाव दिया गया कि स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों एवं उनके शुल्क से सम्बन्धित कार्यों के सुचारु व्यवस्था (Setup)

हेतु एक अलग से कोर्डिनेटर/डायरेक्टर नियुक्त किया जा सकता है। जो कि वित्त सम्बन्धित मामलों को वित्ताधिकारी और प्रशासनिक मामलों को कुलसचिव के माध्यम से कुलपति जी के निर्देशन में कार्य करेंगें तथा इनकी ड्यूटी भी पारिभाषित हों।

श्री प्रेम भारद्वाज ने कहा कि नियुक्त होने वाले कोर्डिनेटर/डायरेक्टर का स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों हेतु अलग से विजन होना चाहिए तथा जिसे स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों तथा वित्त विषयक जानकारी एवं अनुभव हो।

इस सम्बन्ध में कुलपति जी ने कहा कि कोर्डिनेटर/डायरेक्टर के सम्बन्ध में समिति गठित कर कार्यवाही पूर्ण की जा सकती है। उपर्युक्तानुसार विचार विमर्शोपरान्त उक्त प्रस्ताव को सैद्धान्तिक रुप से स्वीकार किया गया तथा अग्रिम कार्यवाही निमित्त निम्न समिति का गठन किया गया:–

1. श्री नरेन्द्र सिंह कटारिया – अध्यक्ष
2. डॉ0 पंकज मदान – सदस्य
3. डॉ0 नैपाल सिंह तोमर द्वारा नामित वाह्य विशेषज्ञ – सदस्य
4. डॉ0 सुनील कुमार – संयोजक

उक्त प्रस्ताव पर श्री नरेन्द्र सिंह कटारिया द्वारा प्रेषित आपत्ति के अनुसार बैठक में निर्णय लिया गया कि स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के लेखा एवं प्रशासनिक कार्यों को अनुरक्षण अनुदान से पूर्णतः अलग कर लिया जाये तथा इस उद्देश्य हेतु गठित समिति कोर्डिनेटर/डायरेक्टर को नियुक्त करेंगी तथा नियुक्त किये गये कोर्डिनेटर/डायरेक्टर के वेतन, अधिकार एवं कर्तव्यों के सम्बन्ध में भी निर्णय लेगी। मान्य अध्यक्ष महोदय के स्वीकृति अनुसार उक्त आपत्ति को कार्यवृत्त में सम्मिलित कर लिया गया है।

प्रस्ताव संख्या 07 **डॉ0 संजील कुमार द्वारा दिनांक 16.03.2021 से अवर श्रेणी लिपिक पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में दिये गये प्रत्यावेदन पर विचार किये जाने का प्रस्ताव।**

समविश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 05.05.2021 के प्रस्ताव संख्या 15 के अनुसार डॉ0 संजील कुमार को दिनांक 16.03.2021 से अवर श्रेणी लिपिक के पद पर स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत नियमावली 2020 के अनुसार स्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा इनके पूर्व की अस्थायी सेवा के सम्बन्ध में एक समिति का गठन किया गया था। समिति की बैठक दिनांक 27.12.2021 एवं दिनांक 01.04.2022 की बैठक में डॉ0 संजील कुमार को अपना पक्ष रखे जाने हेतु बुलाया गया। इनके द्वारा अपने पक्ष में एक प्रत्यावेदन दिया गया है। अतः डॉ0 संजील कुमार द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन के आलोक में प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर श्री विनय आर्य एवं श्री नरिन्दर सिंह कटारिया ने डॉ0 संजील कुमार के सन् 2000 से वर्तमान तक के पूर्ण प्रकरण को सदन में रखा गया। कुलसचिव द्वारा डॉ0 संजील कुमार के दिनांक 03.04.2022 के प्रस्तुत किये गये प्रत्यावेदन प्रार्थना–पत्र को सदन में पढ़ा गया।

उक्त प्रस्ताव पर डॉ0 संजील कुमार द्वारा दिये प्रत्यावेदन प्रार्थना–पत्र पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि डॉ0 संजील कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन प्रार्थना–पत्र स्पष्ट नही है। अतः डॉ0 संजील कुमार अपना अन्तिम प्रत्यावेदन प्रार्थना–पत्र पूर्व में श्री नरिन्दर सिंह कटारिया की अध्यक्षता में गठित समिति के सम्मुख अपना लिखित रुप में प्रस्तुत करें तथा गठित समिति द्वारा इस सम्बन्ध में जो भी अन्तिम निर्णय लिया जायेगा वही मान्य होगा। अतः प्रस्ताव उपर्युक्तानुसार सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है।

पूरक प्रस्ताव संख्या 01 **समविश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव पर लगी रोक को आगे तीन वर्ष बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

समविश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 01.06.2019 के पूरक प्रस्ताव संख्या 03 में निर्णय लिया गया था कि छात्र–छात्राऐं अपनी समस्या हेतु सम्बन्धित समितियों से सम्पर्क कर अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते है। विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वर्तमान छात्र कल्याण परिषद भंग रहेगी तथा आगामी तीन वर्षों तक कोई भी चुनाव

नही होगें। उक्त निर्णय के अनुसार दिनांक 01.06.2019 से छात्र संघ के कोई भी चुनाव नही कराये गये है। चूंकि वर्तमान में समविश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रमों की कक्षाऐं आफलाईन माध्यम से दिनांक 01.04.2022 से आरम्भ हो चुकी हैं। आशंका सम्भव है कि छात्रों द्वारा भविष्य में छात्र संघ चुनाव के सम्बन्ध में पुनः प्रकिया आरम्भ किये जाने हेतु अनावश्यक रुप से समविश्वविद्यालय के वातावरण को दूषित कर सकते हैं।

अतः छात्र संघ के चुनाव को पुनः आगामी तीन वर्षों के लिए रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में विचारार्थ एवं निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर **डॉ0 नैपाल सिंह तोमर ने कहा कि उक्त विषय प्रबन्ध मण्डल का नही है इस सम्बन्ध में समविश्वविद्यालय के कुलपति एवं कुलसचिव अपने स्तर से निर्णय ले सकते हैं। मान्य कुलपति जी द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि पूर्व में छात्र संघ के चुनाव आगामी तीन वर्ष तक न कराये जाने के बारे में दिनांक 01.06.2019 को हुई प्रबन्ध मण्डल की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था। अतः छात्र संघ के चुनाव आगामी तीन वर्षों हेतु न कराये जाने विषयक निर्णय प्रबन्ध मण्डल के द्वारा ही लिया जाना उचित होगा। इस सम्बन्ध में बैठक के अन्य सभी सदस्यों की राय थी कि पूर्व में हुए निर्णय से विश्वविद्यालय में शान्ति, शिक्षण एवं शोध का वातावरण है। अतः शिक्षण एवं शोध का शान्त वातावरण बनाये रखने एवं छात्र हित में छात्र संघ के चुनाव आगामी तीन वर्ष तक न कराये जाने हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।**

प्रस्ताव संख्या 08

प्रो0 श्रवण कुमार शर्मा को समविश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश दिनांक 20.12.2021 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय–उत्तराखण्ड, नैनीताल के आदेश दिनांक 14.03.2022 के आलोक में अपील की सुनवाई पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

समविश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में कार्यरत प्रो0 श्रवण कुमार शर्मा को दिनांक 20.12.2021 को समयपूर्व सेवानिवृत्त किये जाने पर इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में रिट पिटीशन (S/B) No.119 of 2022 दायर किया गया था। उक्त रिट पिटीशन पर दिनांक 14.03.2022 को हुए निर्णय के अनुसार प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्णय लिया जाना है। इस सम्बन्ध में डॉ0 श्रवण कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 21.03.2022 को अपना एक प्रत्यावेदन भी प्रस्तुत किया गया है।

मान्य उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के दिनांक 14.03.2022 के आदेशानुसार अब तक अध्यक्षता कर रहे मान्य कुलपति द्वारा सदन में होने वाली जाँच प्रक्रिया से हटने (Recuse) के उपरान्त सम्बन्धित अपील पर विचार एवं निर्णय हेतु सर्वसम्मति से श्री प्रेम भारद्वाज जी को अध्यक्ष चुना गया और अपील पर सुनवाई शुरु की, जो अपीलकर्ता डॉ0 श्रवण कुमार शर्मा स्वयं व समविश्वविद्यालय की तरफ से अधिकृत व्यक्ति विधि प्रभारी डॉ0 श्वेतांक बोर्ड के समक्ष हाजिर हुए।

डॉ0 श्रवण कुमार शर्मा द्वारा अपनी समय पूर्व सेवानिवृत्ति विषयक दिनांक 04.01.2022 को प्रेषित प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में अपने तर्क एवं तथ्यों सहित अपना पक्ष प्रबन्ध मण्डल के समक्ष रखा। समविश्वविद्यालय का पक्ष रखे जाने हेतु डॉ0 श्वेतांक द्वारा एक सप्ताह का समय मांगा गया। जिस पर अपीलकर्ता ने कोई एतराज नही किया और अपील पर आंशिक सुनवाई हुई तथा बाकी सुनवाई आगामी बैठक में किये जाने पर सर्वसहमति हुई और समविश्वविद्यालय को निर्देश दिये कि अपील बारे अपना पक्ष लिखित में एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें। अतः प्रस्ताव संख्या 08 पर समिति की बैठक को स्थगित (Adjourned) किया गया है तथा इस प्रस्ताव पर निर्णय शीघ्र ही पुनः बैठक कराकर लिया जायेगा।

शांति पाठ के उपरान्त बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

कुलसचिव